सिविल विविध

न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल के समक्ष

राम सरूप, - ***याचिकाकर्ता***

बनाम

समंदर सिंह आदि, - उत्तरदाता

1971 की सिविल रिट संख्या 2764
और 1971 के सीएम 5002
7 सितंबर, 1971।

*पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (*1953 *का IV)* जैसा कि पंजाब *ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, (1971* का *XIX)* द्वारा संशोधित किया गया है - *धारा* 5 (4), प्रथम *परंतुक खंड (क) - खंड (क) के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत - क्या अनुसूचित जातियों से संबंधित एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं।*

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के पहले परंतुक के खंड (ए) में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों से संबंधित एक पंच होना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान नहीं है कि इसके द्वारा कवर किए गए किसी भी पान पर ऐसे पंचों की संख्या *एक से अधिक नहीं होगी।* दूसरे शब्दों में, यह अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक सीट का आरक्षण प्रदान करता है जबकि अन्य सीटें "सामान्य" या "खुली" सीटें हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह अनुसूचित जाति से

संबंधित हो या न हो, निर्वाचित हो सकता है। इसलिए, खंड (क) के अनुसार ग्राम पंचायत के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुसूचित जातियों से संबंधित एक पंच रखे लेकिन खंड अन्य पांच सीटों को उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने का अधिदेश नहीं देता है जो अनुसूचित जातियों से संबंधित नहीं हैं। इन सीटों को उन उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है जो सबसे अधिक वैध वोट हासिल करते हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों या नहीं।

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 12के चुनाव को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। 2 ग्राम पंचायत पलवली के पंच के रूप में और याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत पलवाली, जिला गुड़गांव के 6 वें सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित करना, और आगे प्रार्थना करना कि उपरोक्त रिट याचिका का अंतिम निपटान लंबित है। 2 को पंच के रूप में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।*

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन *में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 15 का शपथ ग्रहण 2 उपर्युक्त रिट याचिका के अंतिम निपटान तक श्री राम सरूप पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से *हरभगवान सिंह, एडवोकेट।*

उत्तरदाताओं के लिए *नेमो।*

निर्णय

न्यायमूर्ति कोशल —(1) पलवली गांव की ग्राम पंचायत के चुनाव, जिसमें छह सदस्य होने थे, 1 जुलाई, 1971 को आयोजित किए गए थे। चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों में से, पहले छह जिन्होंने सबसे अधिक वैध वोट हासिल किए और जिनमें अनुसूचित जाति के दो शामिल थे, अर्थात् नंद किशोर (64 वोट हासिल करना) और किशन चंद, प्रतिवादी नंबर 2 (62 वोट) को पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसरण में निर्वाचित घोषित किया गया। पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित।

(2) यह याचिकाकर्ता का मामला है, जिसने सबसे अधिक वैध वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों में 54 वोट हासिल किए और उत्तरदाता नंबर 2 से नीचे है, कि ग्राम पंचायत उप-धारा (4) के पहले परंतुक के खंड (ए) और (बी) की सामग्री को देखते हुए अनुसूचित जाति से संबंधित एक से अधिक पंच को अपने सदस्यों के रूप में नहीं रख सकती है।

"बशर्ते कि 26 जनवरी, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए-

4

(a) प्रत्येक ग्राम पंचायत उपखंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूचित जातियों से संबंधित एक पंच रखेगी यदि उनकी जनसंख्या संबंधित सभा क्षेत्र की जनसंख्या का पांच प्रतिशत या उससे अधिक है;

(b) सात या उससे अधिक पंचों वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो पंच होंगे जो अनुसूचित जातियों के सदस्य होंगे यदि उनकी जनसंख्या संबंधित सभा क्षेत्र की जनसंख्या का दस प्रतिशत या उससे अधिक है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, पलवली गांव की ग्राम पंचायत परंतुक के खंड (ए) के दायरे में आती है, जो अनुसूचित जाति से संबंधित एक से अधिक पंचों के चुनाव की अनुमति नहीं देता है और इसलिए, वह प्रार्थना करता है कि पंच के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 के चुनाव को रद्द कर दिया जाए और उसे (याचिकाकर्ता) खुद को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाए।

(3) याचिका में कोई बल नहीं है। खंड (क) में केवल यह निदेश दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों का एक पंच अवश्य होना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान नहीं है कि उसके द्वारा कवर की गई किसी भी पंचायत में ऐसे पंचों की संख्या एक *से अधिक नहीं होगी।* दूसरे शब्दों में, यह अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक सीट का आरक्षण प्रदान करता है जबकि अन्य सीटें "सामान्य" या "खुली" सीटें हैं, जिनके लिए कोई भी व्यक्ति चाहे वह अनुसूचित जाति से संबंधित हो या न हो, निर्वाचित हो सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से खंड पर रखी जाने वाली व्याख्या इस्तेमाल की गई भाषा से नहीं की गई है, लेकिन भले ही यह माना जा सके कि भाषा अस्पष्ट है ताकि विकल्प में उस व्याख्या को स्वीकार किया जा सके, इसे संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों के मद्देनजर विधायिका के इरादे के अनुरूप नहीं माना जाएगा। अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं आदि के सदस्यों के आरक्षण के लिए प्रावधान करना कुछ मामलों में अनुमेय है, लेकिन जो ऊपर उल्लिखित श्रेणियों से संबंधित नहीं होने वाले व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण को मान्यता नहीं देते हैं। विधायिका का इरादा यह नहीं हो सकता था कि संविधान उसे अधिनियमित करने की अनुमति नहीं देता है, जब संविधान के अनुरूप कोई अन्य इरादा खंड (ए) में नियोजित भाषा से अलग है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस खंड के अनुसार ग्राम पंचायत के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित एक पंच रखना अनिवार्य था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे अन्य पांच सीटें अनुसूचित जातियों से संबंधित नहीं होने वाले व्यक्तियों के लिए

आरक्षित करने का कोई अधिदेश प्राप्त था। इस प्रकार उन सीटों को उन उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता था जो सबसे अधिक वैध वोट हासिल करते थे, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों या नहीं।

(4) नतीजतन, याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है लेकिन लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा